कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)
दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेलः apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/ विविध–1ए/115–908 ए/ 10 दिनांक 03/~~12~~/2023
01

प्रति,

वन मंडलाधिकारी
कोरिया वनमंडल, बैकुण्ठपुर
छत्तीसगढ़

विषय :– **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Jio Digital Fiber Pvt. Ltd. Raipur laying Optical Fiber Cable (OFC) Line in Korea Forest Division under Chhattisgarh State, area- 3.309 ha. पंजीयन क्रमांक/ FP/CG/OFC/146529/ 2021**

संदर्भः–
1. छ.ग. शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय का पत्र क एफ 05–23/2022/10–2 दिनांक 07.12.2022
2. मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त का पत्र क्रमांक/मा.चि./न.क.–149/2022/3360 दिनांक 22.12.2022

※ ※ ※ ※ ※

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र–2 द्वारा आवेदक संस्थान जियो डिजिटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड हेतु कोरिया जिले के कोरिया वनमंडल अंतर्गत मार्गों के सामानान्तर वन भूमि एवं राजस्व वन भूमि में 66.180 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ वे वन भूमि का रकबा 3.707 हे. एवं राजस्व वन भूमि का रकबा 0.202 कुल रकबा 3.309 हे. वन भूमि पर आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रेषित प्रस्ताव का नोडल कार्यालय द्वारा परीक्षण किये जाने पर ऑनलाईन एवं ऑफलाईन त्रुटियां पायी गई है जो निम्नानुसार है –

पूर्व में आवेदनकर्ता महाप्रबंधक, जियों डिजिटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड रायपुर द्वारा बलौदाबाजार जिले के बलौदाबाजार वनमंडल अंतर्गत भूमिगत आप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु प्राप्त प्रस्ताव को छ.ग. शासन वन विभाग को प्रेषित किया गया था। छ.ग. शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय के संदर्भित पत्र–1 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रस्ताव में ली गई आपत्तियों की विषयांकित प्रस्ताव में पूर्ति करना सुनिश्चित करें।

आनलाईन त्रुटियां

1. आनलाईन कॉलम नं. 8 (iii) एवं (iv) में No का उल्लेख कर जानकारी अपलोड किया गया है परन्तु वन मंडलाधिकारी के प्रपत्र–3 के बिन्दु 10 में Eco-sensitive Zone से 10 कि.मी के दायरे में है का उल्लेख किया गया है जिसमें सुधार किया जाना होगा एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) से अभिमत लिया जाना होगा।
2. Time Line में मुख्य वन संरक्षक का हस्ताक्षर नहीं है, हस्ताक्षरित संलग्न करे।
3. आफलाईन लिये गये आपत्तियों को वेब पोर्टल में अपलोड जानकारी से अपडेट किया जाना होगा।
4. आनलाईन Form-A Part – II के कालम नं. 16 में भाग–2 अपलोड नहीं है जिसे अपलोड किया जावे।
5. आनलाईन Form-A Part – II के कालम नं. 05 से 13 तक के बिन्दुओं से संबंधित वचन पत्र एवं अतिरिक्त जानकारी Remark कॉलम में अपलोड किया जावे।

ऑफलाईन त्रुटियां

1. प्रकरण में आवेदित वन भूमि का कक्षवार विवरण तथा वनमंडलाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन भाग–2 में उक्त वन भूमि के रकबा को कक्षवार एकजाई कर छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय के पत्र दिनांक 07.12.2022 में निर्धारित तालिका अनुसार तैयार कर प्रस्तुत करें।
2. प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक–48 कंडिका –07 में प्रपत्र–4 में वनमंडलाधिकारी का हस्ताक्षर लिया जाना होता है किन्तु उक्त प्रमाण पत्र को आवेदक संस्थान द्वारा प्रमाणित किया गया है। वनमंडलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रपत्र–4 प्रस्तुत करें।
3. प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक–58 कंडिका – 09, न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र में वनमंडलाधिकारी का हस्ताक्षर लिया जाना होता है। किन्तु उक्त प्रमाण पत्र को आवेदक संस्थान द्वारा प्रमाणित किया गया है। वनमंडलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
4. प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक–59 कंडिका – 10, अधिनियम उल्लंघन के संबंध में की गई कार्यवाही आवेदक संस्थान द्वारा हस्ताक्षरित हैं। वनमंडलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
5. प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक–69ए, कंडिका –11 के प्रपत्र–3, वन संरक्षक/वनमंडलाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन वनमंडलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित है। निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम नहीं लिखा गया है। स्पष्ट नाम एवं पद नाम लिखा जावे।
6. प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक–120, कंडिका–20 में आवेदक संस्थान द्वारा पंजीयन शुल्क रू. 6000/– एवं प्रसंस्करण शुल्क रू. 29000/– कुल राशि रू. 35000/– चालान के माध्यम से कोषालय में जमा किये जाने हेतु लेख किया गया है किन्तु चालान की प्रति संलग्न नहीं की गई है। चालान की प्रति संलग्न करें।
7. प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक–121, कंडिका–21 में उल्लेखित प्रमाण पत्र में वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत लिया जाना होता है। किन्तु आवेदक संस्थान द्वारा उक्त प्रमाण पत्र की आवश्यकता न होना प्रमाणित किया गया है।

उक्त प्रस्ताव में आरक्षित वन रकबा 0.468 हे. एवं संरक्षित वन रकबा 0.727 हे. कुल रकबा 1.195 हे. गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 10 कि.मी की परिधि में आने का उल्लेख किया गया है। अतः प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत लिया जाना होगा। अभिमत प्राप्त कर प्रस्तुत करे।

अतः उपरोक्तानुसार कमियों की पूर्ति हेतु प्रस्ताव मूलतः संलग्न प्रेषित है। तदनुसार संशोधित प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक सरगुजा वृत्त के माध्यम से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– 1. प्रस्ताव मूलतः (02 प्रति में)

2. संदर्भित पत्र–1 की छायाप्रति

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115– 908ए/ 11 रायपुर, दिनांक 03/~~12~~ 01/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **मुख्य वन संरक्षक**, सरगुजा वृत्त, अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़।
2. **महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)** जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड, चतुर्थ तल, अम्बुजा मॉल, विधानसभा रोड, मोवा (सड्डू), रायपुर (छ.ग.)।

संलग्नः– संदर्भित पत्र–1 की छायाप्रति

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

- 152 -OFC Line Letter 2022.doc